विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन

(दिनांकः 29 मार्च, 2025)

जय हिन्द!

उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और हृदय से अभिवादन करता हूँ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस हम सभी के लिए उपभोक्ता के तौर पर जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है।

हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें खरीदते हैं, लेकिन कभी–कभी हमें यह नहीं पता होता कि उस उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है, वह सुरक्षित है या नहीं? मेरा मानना है कि अपने अधिकारों के बारे में अज्ञानता शोषण का कारण बन सकती है इसलिए उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है।

उपभोक्ता अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नाप–तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

साथियों,

भारत की लीगल मेट्रोलॉजी प्राचीन काल में उभरी है। तराजू और बाट सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों में भी उपलब्ध थे। उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक करने का दिन है। साथ ही मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अधिकार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ आते हैं।

गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी हर ग्राहक का मूल अधिकार है। इससे आर्थिक तंत्र मजबूत होता है, साथ ही पूंजीगत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जो भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। हर उपभोक्ता का हक

है कि उसे अच्छे, सुरक्षित और मानकों के अनुसार उत्पाद मिलें। और इन सब सवालों में हमें भरोसा दिलाता है भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा दिया गया मानक चिन्ह, जिसे देखकर एक उपभोक्ता को यह यकीन होता है कि कोई भी उत्पाद मानकों के हिसाब से बना है और BIS द्वारा प्रमाणित है।

जब किसी उत्पाद पर BIS का चिन्ह होता है, तो यह विश्वास दिलाता है कि उस उत्पाद की मानकों के अनुसार जांच की गई है। इसका मतलब है कि वह उत्पाद सुरक्षित है और उपभोक्ताओं के लिए उसके उपयोग से कोई खतरा नहीं है। BIS यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में केवल वही उत्पाद आएं जो मानकों के अनुसार हों और जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों।

यह प्रसन्नता की बात है कि आज के डिजिटल युग में BIS ने अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटली किया है, ताकि उपभोक्ता कहीं से भी, किसी भी वक्त यह जान सकें कि कोई भी उत्पाद मानक के अनुरूप है या नहीं। BIS ने इसके लिए BIS Care ऐप लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी टूल है।

इस ऐप की मदद से अब हम अपने स्मार्टफोन से किसी भी उत्पाद की जांच कर सकते हैं कि वह BIS मानकों के अनुसार है या नहीं। सिर्फ उत्पाद पर दिए गए लाइसेंस

या रजिस्ट्रेशन नंबर को BIS CARE APP में लिखें और आपको पता चल जाएगा कि उस उत्पाद की गुणवत्ता क्या है, वह किस मैन्यूफैक्चरर द्वारा बनाया गया है। इस ऐप ने उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता जांचना बेहद आसान और सरल बना दिया है।

BIS ने न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया है, बल्कि एक ऐसा मंच भी प्रदान किया है जहां हम अपनी सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता को आसानी से चेक कर सकते हैं। यह डिजिटल प्रक्रिया उपभोक्ताओं को सशक्त बनाती है और बाजार में सही उत्पाद खरीदने के लिए राह आसान करती है। BIS के इन सभी प्रयासों की मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ।

यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सही भावना से किया जाए, तो यह विभिन्न कार्यों में लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है। आधुनिक तकनीक एआई विकास का एक महत्वपूर्ण औजार है मेरा मानना है कि भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए और सभी युवाओं को एआई के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए।

साथियों,

उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति निर्माण में हमेशा उपभोक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखा है। उनके नेतृत्व में नया भारत उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ता समृद्धि की ओर

बढ़ रहा है। हर व्यवसाय, उद्योग या व्यापार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि होना चाहिए। भारत सरकार न केवल उपभोक्ता संरक्षण, बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) वास्तव में भारत में उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए आधारशिला है, जो शिकायत निवारण के लिए एकल–बिन्दु पहुँच के रूप में कार्य करती है। यह अच्छी बात है कि सरकार टिकाऊ उत्पादों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं और टिकाऊ नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक पारदर्शी और निष्पक्ष उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर देता है। आज जब भारत नीतिगत सुधारों और डिजिटल पहलों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, विलंब से न्याय, डिजिटल धोखाधड़ी और नियामक अंतराल जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। संस्थाओं को मजबूत करना, जागरूकता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना उपभोक्ता सशक्तीकरण और आर्थिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति निर्भर है। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में उपभोक्ता व्यापक स्तर पर तेजी से डिजिटल लेन–देन को अपना रहें हैं। भारत सरकार कई ऐसी पहलों पर जोर

दे रही है जिनसे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होने के साथ–साथ उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित होता है। सरकार ने उपभोक्ता सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करके शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाया है।

हम सभी देश वासियों ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमारी विरासत, हमारा अतीत और हमारी परंपराएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। विकसित भारत में अपनी परंपराओं के लिए एक विशेष स्थान होगा। हमारे सामूहिक प्रयासों, यानि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से ही हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

अंत में, मैं एक बार फिर से BIS को उनके सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। सभी नागरिकों से एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की अपील करता हूँ। हम हमेशा जागरूक रहें, और गुणवत्ता वाले उत्पादों का चयन करें। हम जितना जागरूक होंगे, उतना ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे।

जय हिन्द!